न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम-4, जयपुर नगर, जयपुर ।

==========

पीठासीन अधिकारी:- श्री प्रबोध वशिष्ठ "आरएजेएस"

दीवानी विविध अपील सं. 36/04

==========

श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा, जयपुर स्टेशन रोड़ ,जयपुर जरिये प्रधानमंत्री श्री चन्द्र मनोहर बटवाड़ा गंगामाता का मंदिर, स्टेशन रोड़, जयपुर ।

...अपीलार्थी/प्रार्थी...

बनाम

श्री नारायण लाल बड़ाया पुत्र श्री कन्हैयालाल बड़ाया जाति महाजन खण्डेलवाल निवासी 1-ए-23 जवाहरनगर, जयपुर ।

...प्रत्यर्थी/विपक्षी...

दीवानी विविध अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 20.9.2004 पारित द्वारा: श्री सुशील कुमार शर्मा (आरजेएस) अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व0ख0) क्रम-3, जयपुर नगर, जयपुर दी0 विविध प्रार्थना पत्र संख्या-8/2004, बउनवानी श्री खण्डेलवाल वैश्य हित कारिणी सभा, जयपुर बनाम श्रीनारायण लाल बड़ाया।

---x---

उपस्थित:-

1. श्री मुकेश दत्त माथुर अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हेमन्त कुमार गुप्ता अधिवक्ता प्रत्यर्थी/विपक्षी की ओर से ।

:: आदेश :: दिनांक: 18.3.2006

1. इस अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी/प्रार्थी ने एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन तथ्यों पर प्रस्तुत किया कि प्रार्थी संस्था एक रजिस्टर्ड संस्था है, जिसके प्रबन्ध व प्रशासन के लिए विधान बना हुआ है । चन्द्रमनोहर बटवाड़ा प्रार्थी संस्था के प्रधानमंत्री है और संस्था की नियमावली के अनुसार संस्था की ओर से समस्त कार्य कलाप करने व संस्था के संचालन का पूर्ण अधिकार प्रधान मंत्री को प्राप्त है । प्रार्थी संस्था के चुने हुए कुछ पदाधिकारियों का नामों का उल्लेख करते हुए उनके विरुद्ध, संस्था के खिलाफ कार्यवाही करने का आरोप प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेखित किया गया है । विपक्षी के विरुद्ध में यह आपत्ति की है कि वह संस्था का कोई पदाधिकारी नहीं है और उसे संस्था की तरफ से विज्ञप्ति जारी करने, सभा बुलाने और सूचना जारी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । संस्था के हितों के विरुद्ध कृत्य करने के आधार पर

विपक्षी को संरक्षक सदस्यता से तथा संस्था की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया तथा जिसकी पुष्टि आमसभा में दिनांक 20.4.2004 को कीगई । इस प्रकार विपक्षी की सदस्यता समाप्त होने के उपरान्त वह संस्था के हितों के विरुद्ध समाचार पत्रों में विज्ञप्तियां जारी कर संस्था के संचालन में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है । प्रार्थी के हक में प्रथमदृष्टया केस, अपरिमित क्षति एवं सुविधा संतुलन के बिन्दुओं के विद्यमान होने का विवरण देते हुए प्रार्थी ने यह अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनी चाही है कि विपक्षी प्रार्थी संस्था की ओर से कोई विज्ञप्ति जारी नहीं करें और उसके कार्य कलाप में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें ।

2. विपक्षी ने जवाब में चन्द्रमनोहर बटवाड़ा का संस्था से कोई सम्बन्ध नहीं होने व उसके संस्था के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त होने के कारण सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् संस्था की प्राथमिक सदस्यता व पद से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर देने का उल्लेख किया । इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति दिनांक 11.4.04 को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने और उक्त विज्ञप्ति को किसी भी सक्षम न्यायालय में उक्त चन्द्रमनोहर बटवाड़ा द्वारा कहीं भी चुनौती नहीं दिये जाने तथा अपने अधिकार को इस प्रकार समाप्त किए जाने का विपक्षी ने उल्लेख किया । दिनांक 12.4.2004 को मिटिंग की कार्यवाही में उपस्थित सदस्यों के रजिस्टर की फोटो कॉपी अनुमोदन के लिए रजिस्ट्रार संस्थाये के यहां प्रस्तुत की जिसका दिनांक 16.4.2004 को अनुमोदन कर प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की गई । उक्त अनुमोदन के अनुसार संस्था के पदाधिकारियों का उल्लेख चरण संख्या-3 में करते हुए प्रार्थना पत्र के विषय में न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता को भी चुनौती दी । स्वयं को संस्था के विधान व नियमावली के नियम 14 के अनुसार कार्य करने का अधिकार होना व्यक्त करते हुए विपक्षी ने प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा निरस्त करने की प्रार्थना की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त अपीलार्थी/प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया है.इसी आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी प्रार्थी ने यह विचारणीय अपील प्रस्तुत की है ।

4. इस अपील के विषय में दोनों पक्षों की ओर से विस्तार से बहस की जाकर न्यायालय का ध्यान विभिन्न दस्तावेजों की ओर आकर्षित किया गया है । उभयपक्षों की बहस को मेरे द्वारा ध्यानपूर्वक सुना गया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया गया है ।

5. विविध अपील में इस न्यायालय को अपीलार्थी प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को नये सिरे से निस्तारित नहीं किया जाना है, वरन् यह देखा जाना है कि अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश इललीगल,आरबीट्रेरी या केप्रासियस है अथवा नहीं । उपरोक्त सिद्धांत माननीय राजस्थान उच्च

द्वारा डब्लू.एल.सी. राजस्थान 1993(3) पेज 338 में प्रतिपादित किया गया है । इस अपील में अपीलार्थी की ओर से विस्तार से ऐसे कई नये बिन्दु उत्पन्न कर दिये गये हैं जो उसकी प्लीडिंग्स में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में उल्लेखित नहीं थे एवं जिनके विषय में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई बहस भी प्रस्तुत नहीं की गई थी । अपील मीमो में भी अपीलार्थी ने अत्यन्त विस्तार से ऐसे नये तथ्यों का समावेश किया है, जिनका उल्लेख अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में भी नहीं किया गया है । न्यायालय के काफी प्रयास के उपरान्त ही अपीलार्थी की ओर से यह स्पष्ट किया जा सका है कि प्रार्थी संस्था के संयुक्त मंत्री प्रेमचंद कट्टा के द्वारा अप्रार्थी नारायण लाल बड़ाया को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए प्रबन्धकारिणी समिति की मिटिंग बुलाने का अधिकार नहीं था, चूंकि संस्था के विधान के विपरीत संस्था के हितों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आधार पर संयुक्त मंत्री प्रेमचंद कट्टा को सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था और वह संस्था के संयुक्त मंत्री नहीं थे । यह भी आपत्ति प्रकट की गई है कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति में प्रबन्धकारिणी की मिटिंग बुलाने की अधिकारिता संयुक्त मंत्री को प्राप्त नहीं होती है । यह भी मुख्य आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि विपक्षी को हटाने के लिए प्रबन्धकारिणी समिति में सदस्यों की संख्या अत्यधिक थी, जबकि प्रार्थी को हटाने के विषय में प्रबन्धकारिणी के सदस्यों की संख्या अत्यन्त कम थी ।

6. उपरोक्त विषय में यह पाया जाता है कि संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति ने संयुक्त मंत्री प्रेमचंद कट्टा को सदस्यता से निष्कासित करने का निर्णय दिनांक 9.4.2004 को लिया है, जबकि इसी संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति ने दिनांक 10.4.2004 को प्रार्थी को संस्था से सदस्यता से निष्कासित करने का निर्णय लिया । प्रबन्धकारिणी समिति के दोनों मिटिंगों में उपस्थित सदस्यों के विषय में यह पाया जाता है कि संयुक्त मंत्री प्रेमचंद कट्टा के संबंध में सदस्यों की संख्या अधिक थी, जबकि प्रार्थी के संबंध में प्रबन्धकारिणी समिति में तुलनात्मक रूप से सदस्यों की संख्या कम थी । प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा लिये जाने वाले निर्णय के लिए सदस्यों का कोरम पूरा नहीं हुआ हो ऐसी प्रार्थी की आपत्ति विद्यमान नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी के विषय में प्रबन्धकारिणी के द्वारा बुलाई गई दिनांक 10.4.2004 की मिटिंग का निर्णय इस स्टेज पर प्रथमदृष्टया अवैध होना नहीं कहा जा सकता है । यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी को सदस्यता से निष्कासित करने का निर्णय का अनुमोदन रजिस्ट्रार संस्थाओं के यहां दिनांक 16.4.2004 को कर दिया गया है । इस प्रकार अब न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न हो गया है कि संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति ने एक ही दिन के अन्तर पर संयुक्त मंत्री प्रेमचंद कट्टा एवं प्रार्थी चन्द्रमनोहर बटवाड़ा को सदस्यता से निष्कासित किया है । ऐसी स्थिति में संस्था के साधारण सभा के द्वारा ही यहां

....4.

निर्णय लिया जाना अपेक्षित होना कहा जा सकता है कि वे रेस्पोन्डेन्ट नारायणलाल बटाया को संस्था के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं अथवा प्रार्थी चन्द्रमनोहर बटवाड़ा को संस्था के प्रधान मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी प्रार्थी के हक में सबल केस बनना नहीं मानने का मत त्रुटिपूर्ण होना नहीं पाया जाता है। अपीलार्थी के हक में प्रथमदृष्टया सबल केस बनना नहीं पाया जाता है।

7. प्रार्थी स्वयं का ही संस्था का प्रधान मंत्री होना एक विचारणीय प्रश्न है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के माध्यम से संस्था को अपरिमित क्षति कारित होना संभावित हो ऐसा दिखाई नहीं देता है। सुविधा संतुलन के विषय में यह पाया जाता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध में अनिश्चित स्थिति में अपीलार्थी चन्द्रमनोहर बटवाड़ा के साथ-साथ संबंधित संस्था श्री [illegible] वैश्य हितकारिणी सभा, जयपुर के अन्य किसी पदाधिकारी को भी वाद एवं प्रार्थना पत्र की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया है। उक्त स्थिति को देखते हुए प्रार्थी की व्यक्तिगत स्थिति के विषय में सुविधा संतुलन अपीलार्थी प्रार्थी के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 20.9.2004 इललीगल, आरबीट्रेरी एवं केप्रिशियस होना नहीं पाया जाता है। अपीलार्थी की अपील स्वीकार होने योग्य नहीं पायी जाती है।

आदेश

9. अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 20.9.2004 की पुष्टि की जाती है। खर्चा अपील पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

(हस्ताक्षर)
20.9.04
(प्रबोध [illegible])
अपर जिला न्यायाधीश क्रम-4,
जयपुर नगर, जयपुर।

10. आदेश आज दिनांक 18.3.200[illegible] खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
20.9.04
(प्रबोध [illegible])
अपर जिला न्यायाधीश क्रम-4,
जयपुर नगर, जयपुर।

अपर जिला [illegible]
क्रम-4, जयपुर नगर, जयपुर

प्रति-हस्ताक्षरित
सत्य प्रतिलिपि